

Criminal Misc. Cases 595/2025

IN THE COURT OF
Addl. District Judge Court No. 2
AT, Unnao
(Presided Over by Ankita Shukla)
UPUN010084422025



Criminal Misc. Cases 595/2025

धर्मपाल.....बनाम.....लल्लू लाल यादव आदि।

दिनांक- 22.06.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. में कथन किया गया है कि प्रार्थी धर्मपाल पुत्र रामखेलावन पासी निवासी ग्राम हफीजाबाद थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव का अनुसूचित जाति (पासी) का व्यक्ति है। प्रार्थी के पिता राम खेलावन की एक भूमि उन्नाव शहर में थी उक्त भूमि पर दबंगों व भूमाफियों की निगाह थी। इससे परेशान होकर प्रार्थी व पिता राम खेलावन ने उक्त भूमि को बेचकर सन् 2007 में अपने गांव के ही नजदीक ग्राम लालपुर व ग्राम मिर्जापुर में अपने जीवन यापन के लिए कृषि भूमि खरीदी थी। जिससे प्रार्थी के परिवार का जीवन यापन चल रहा है लल्लू लाल यादव पुत्र स्व० बाबूलाल निवासी लेगंडा पुरवा थाना गंगाघाट की गलत निगाह प्रार्थी की लालपुर स्थित भूमि पर है। चूँकि प्रार्थी की उक्त भूमि लल्लू लाल के खेत के बंगल व परिवारिकजनों के घर के बगल में है। इसलिए लल्लू यादव प्रार्थी की उक्त भूमि को हड़पने के प्रयास में है और जोतने बोन में प्रार्थी के साथ दिक्कत पैदा करता है कई बार प्रार्थी के साथ लल्लू लाल मारपीट भी कर चुका है तथा वह प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुका है। लल्लू लाल के परिवार में सदस्यों की सख्या अधिक होने के कारण दबंगई करता है प्रार्थी का गाव जमीन से दूर स्थित है इसलिए लल्लू लाल उक्त भूमि को हड़पना चाहता है और प्रार्थी पर अपने हक में औने पौने दाम में बैनामा करने के लिए दबाव डालता है जब गेहू की बुआई हुयी थी। तब प्रार्थी के साथ लल्लू ने गाली गलौज किया था तथा धमकी दिया था कि मेरी लखनऊ तक पकड़ है अब बसपा की सरकार नहीं है मेरा समाजवादी पार्टी कार्यालय में सीधा आना जाना है तथा सपा के बड़े नेताओं के साथ उठना, बैठना है इसलिए जो पैसे मैं तुमको दे रहा हूँ वह चुपचाप लेकर मेरे नाम बैनामा कर दो अन्यथा हम जमीन तो हड़प लेगे मुझे नहीं दोगे तो जमीन खारिज करा देंगे। प्रार्थी के खेत 326 जो मिर्जापुर में स्थित है वह लल्लूलाल अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर कब्जा करना चाहता है। चूँकि लल्लू लाल पहले भी कइयों की जमीनें हड़प चुका है अभी जल्द ही एक परिवारिक जमीन हड़पने के मामले में मु०अ०स०-1018 ६ 2022 धारा 420, 506, 467, 468, 471 IPC में लल्लू यादव के विरुद्ध दर्ज हुआ है जिसमें 1.5 माह जेल में रहकर जमानत पर जेल से बाहर है। कुछ रोज पहले प्रार्थी खेत पर गया था तब भी लल्लू लाल ने अपने पारिवारिक

Criminal Misc. Cases 595/2025

सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा प्रार्थी की पत्नी के साथ भी अभद्रता की और यह धमकाया कि यदि थाने गये तो पासी साले तुम्हारे लिये अच्छा नहीं होगा। लल्लू लाल की हरकतों से प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार अत्यन्त भयभीत है इसलिए माननीय जी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी बहुत भयभीत तथा डरा हुआ है कि प्रार्थी के साथ फिर कोई अनहोनी घटना उक्त लोगो द्वारा कारित न कर दी जाये। प्रार्थी ने थाने तथा अन्य कई उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्यवाही न होने से उक्त लोगो के हौसले बुलन्द है और आये दिन उपरोक्त लोग प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिजनों को जान माल की धमकी दे रहे है उक्त लोगो द्वारा कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित की जा सकती है। प्रार्थी ने उक्त के बावत एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना हाजा पर दिया था। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और शिकायत की जानकारी उपरोक्त लोगो को हो गई तो उक्त लोगो ने गन्दी-2 गालियाँ दे जान माल की धमकी भी दे रहे है प्रार्थी विवश होकर उन्नाव आया और श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को व्यक्तिगत व जरिये रजिस्टर्ड डाक से शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा कई उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार प्रार्थी को आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका मुकदमा दर्ज किया जायेगा परन्तु प्रार्थी का कोई भी मुकदमा आज तक पंजीकृत नहीं किया गया और कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी बहुत ही हैरान व परेशान है तथा प्रार्थी को जान माल का खतरा बना हुआ है तब प्रार्थी विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय की मंशा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि थाना कोतवाली जिला उन्नाव को निदेशित करे की वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना गंगाघाट से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जांच हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकांश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

Criminal Misc. Cases 595/2025

विधि व्यवस्था जोसेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022**, wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police.”

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार को जातिसूचक गाली देना तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अभियुक्त के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः आवेदक प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रक्रिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तदुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 02.09.2026 को पेश हो।

दि. 22.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2